

संख्या-11022/02/2020-हिंदी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एनडीसीसी-11 भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 28 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 14 सितम्बर, 2020 को हिंदी दिवस के अवसर पर, केन्द्रीय गृह सचिव महोदय की अपील।

14 सितम्बर, 2020 को, हिंदी दिवस के अवसर पर, केन्द्रीय गृह सचिव महोदय द्वारा की जाने वाली अपील की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि 14 सितम्बर, 2020 को इस अपील को अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संज्ञान में लाए ताकि वे अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने तथा हिंदी में अपनी रूचि जगाने हेतु प्रेरित हो सकें।

संलग्न: यथोपरि



(राकेश कुमार)

निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष : 23438192

ई-मेल: dir_ol@nic.in

सेवा में,

1. गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय।

2. गृह मंत्रालय (मुख्य) और राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/ डेस्क/ अनुभाग।

3. अनुभाग अधिकारी, आई टी सेल को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

AJAY BHALLA, IAS
अजय भल्ला, भा.प्र.से.



गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
North Block,
New Delhi
27 अगस्त, 2020

संख्या : 11022/02/2020-हिंदी

अपील


14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

2. हिंदी भाषा, राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में लगातार विशेष भूमिका निभाती आ रही है। हमारे विशाल, बहु आयामी और बहुभाषी राष्ट्र के नागरिकों को एक मंच पर लाने में, सम्पर्क-भाषा के रूप में हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हिंदी, मीडिया, विज्ञापनों, चल-चित्रों आदि विभिन्न सम्पर्क-माध्यमों के द्वारा महत्वपूर्ण मंच पर प्रतिष्ठा अर्जित करके, अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। देश के सभी भागों में लोगों द्वारा इसे आम बोल-चाल के लिए अपनाया जा रहा है।

3. इस परिप्रेक्ष्य में, गृह मंत्रालय में 01 सितम्बर, 2020 से, 14 सितम्बर, 2020 तक, हिंदी पखवाडा मनाया जा रहा है। इस माह के दौरान इस मंत्रालय के सभी कार्मिकों में हिंदी के प्रति और अधिक रुचि जगाने तथा उन्हें अपना अधिक से अधिक काम-काज मूल रूप से हिंदी में करने के प्रति प्रेरित करने के प्रयोजन से विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि आप सब इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे।

4. राजभाषा के रूप में हिंदी का अपेक्षित प्रयोग किए जाने के लिए बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करते हुए, हमें अपने काम-काज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिंदी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि सरकारी काम-काज हिंदी में किए जाने में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है, परन्तु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमें इसे और आगे बढ़ाने के निरन्तर भरसक प्रयास करने हैं।

5. हिंदी-दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरी यह अपील है कि, हम सब मिल कर एक ऐसा वातावरण बनाएं, जिसमें हम सब अपना अधिक से अधिक काम-काज हिंदी में करें तथा अपने साथ-साथ दूसरों को भी इस दिशा में और अधिक प्रोत्साहित करें।


(अजय भल्ला)

1. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग न्याय विभाग के सभी अधिकारी डेस्क अनुभाग।
2. गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
3. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।